

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No-*Memo/2019*

Dated-*08.02.2019*

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.860** hectares of forest land propose d to be diverted in favor of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of "**Karanparyag –Nauti-Paithani motor road to Gairoli Motor road**" in Chamoli district falls within jurisdiction **Kanoth & Gairoli**, in Karanparyag tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.860 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Kanoth' sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

As
Divisional Forest Officer
Kedamath Wildlife Division
Gopeshwar
MS
2019

(Full name and official seal of the District Collector)

Sharma
Signature
जिला अधिकारी
चमोली

ANNEXURE....
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Smt. Swati S. Bhadoriya, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 08.02.19 at time 11 AM at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 2.120 hect for the construction of “ **Karanpryag –Nauti-Paithani Motor road to Gairoli Motor road**” and forest land 0.860 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanpryag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 08.02.2019


District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

जिना अधिकारी
चमोली


Divisional Forest Officer
Kedamath Wildlife Division
Gopeshwar


जिना अधिकारी
चमोली

कार्यालय उप जिलाधिकारी- कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति- कर्णप्रयाग

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.840 हे० वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे०, अर्थात् कुल 0.860 हे० वन पंचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग, गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, दिनांक 01-12-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 01-12-2019 को उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री ~~के.एस.जोशी~~ उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग अध्यक्ष
- 2- श्री ~~ए.के.वर्मा~~ उप प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ सदस्य
- 3- श्री ~~सोहन लाल~~ सहायक समाज कल्याण अधिकारी कर्णप्रयाग सदस्य
- 4- श्री ~~माननीय सदस्य~~ माननीय सदस्य सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.860 हे० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० गौचर, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम कनोठ एवं गैरोली के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ-द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.860 हे० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० गौचर को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कर्णप्रयाग
जनपद- चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं० 34) से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग हेतु 0.840 हे० वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे० कुल भूमि 0.860 हे० वन पंचायत भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- कनोठ
तहसील- कर्णप्रयाग
जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र


राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.840 हे० वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे० कुल 0.860 हे० वन पंचायत भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में लो०नि०वि० द्वारा दिनांक ११/११/१४ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कनोठ एवं गैरोली के ग्रामवासियों को उक्त भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव



अनापत्ति प्रमाण-पत्र


प्रपत्र - 2301

आज दिनांक 9-9-2015 को हमारे ग्राम केन/ए की खुली बैठक आहूत की गयी। जिसमें गाँव के सभी वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, पुरुष व नौजवान उपस्थित थे। जिसमें कि यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग, अस्थाई खण्ड, गौचर द्वारा गैरोली ग्राम हेतु जो एप्रोच सड़क स्वीकृत है, उसमें हमारे गाँव की जो भी नाप भूमि एवं अन्य भूमि सड़क निर्माण में आयेगी उसे हम विभाग द्वारा नियमानुसार मुआवजा देने पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं और विभाग को हर सम्भव सहयोग प्रदान करने को तैयार हैं।

क्र.सं०	गाँव के वरिष्ठ नागरिकों/महिलाओं/पुरुषों एवं नौजवानों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री रविशंकर सिंह S/O श्री बन्वरी सिंह	[Signature]
2	श्री अवतार सिंह - do - श्री प्रताप सिंह	[Signature]
3	श्री लक्ष्मण सिंह - do - श्री बलवन्त सिंह	[Signature]
4	श्री सरन सिंह - do - श्री मोहन सिंह	[Signature]
5	श्री गणेश सिंह - do - श्री शरद सिंह	[Signature]
6	श्री नरेश सिंह - do - श्री शमशेर सिंह	[Signature]
7	श्री अमर सिंह - do - श्री कल्याण सिंह	[Signature]
8	श्री काशी सिंह - do - श्री यशपाल सिंह	[Signature]
9	श्री विनोद सिंह - do - श्री काशी सिंह	[Signature]
10	श्री सरिता देवी W/O श्री भुवन सिंह	[Signature]
11	श्री माला देवी - do - श्री सुदेश सिंह	[Signature]
12	श्री युष्की देवी - do - श्री दिगम्बर सिंह	[Signature]
13	श्री अषा देवी - do - श्री विमल सिंह	[Signature]
14	श्री माला देवी - do - श्री राजेश सिंह	[Signature]
15	श्री गिरीश सिंह S/O श्री पुष्कर सिंह	[Signature]
16	श्री लक्ष्मी देवी S/O श्री शरद सिंह	[Signature]
17	श्री दिगम्बर सिंह S/O श्री शरद सिंह	[Signature]
18	श्री सुधा देवी " " "	[Signature]

दिनांक - 9/9/2015

हस्ताक्षर मुहर सहित ग्राम प्रधान शुभा



(को पठो 30)

- | | | | |
|------|---------------------------------------|---|---------------|
| (19) | सुशीला देवी प/० जगदीश/किं | - | सुशीला देवी |
| (20) | कृष्ण/किं ५/० स्व० जगदीश/किं | - | कर्म किं मी |
| (21) | हरे-ड/किं ५/० " जीव/किं | - | ५/० |
| (22) | नरे-ड/किं ५/० " रणजीत/किं | - | ५/० |
| (23) | शाकम्बरी देवी प/० हरे-ड/किं | - | शाकम्बरी देवी |
| (24) | महेशी देवी प/० स्व० श्याम/किं | - | महेशी देवी |
| (25) | गुडडी देवी प/० भगत/किं | - | गुडडी देवी |
| (26) | कमला देवी प/० लक्ष्मण/किं | - | कमला देवी |
| (27) | प्रसादा/किं ५/० प्रो/किं | - | प्रसादा |
| (28) | अरुमा देवी प/० अक्ता/किं | - | अरुमा |
| (29) | कमला देवी प/० नरे-ड/किं | - | कमला देवी |
| (30) | मीना देवी प/० महिपाल/किं | - | MEENA |
| (31) | यकौरी देवी प/० कबा/किं | - | यकौरी |
| (32) | माला देवी प/० विजे/किं | - | माला |
| (33) | अरुणा देवी प/० गिरीश/किं | - | अरुणा देवी |
| (34) | जगदीश देवी ५/० श्री राजेश/किं | - | जगदीश देवी |
| (35) | श्रीमती आरती देवी च/० श्रीकुला/किं | - | आरती |
| (36) | श्री कर्मा देवी च/० स्व० श्री जगत/किं | - | कर्म जिंदगी |

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रपत्र - 2301

आज दिनांक 9/9/15 2015 को हमारे ग्राम गैरोली की खुली बैठक आहूत की गयी। जिसमें गाँव के सभी वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, पुरुष व नौजवान उपस्थित थे। जिसमें कि यह निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग, अस्थाई खण्ड, गौचर द्वारा गैरोली ग्राम हेतु जो एप्रोच सड़क स्वीकृत है, उसमें हमारे गाँव की जो भी नाप भूमि एवं अन्य भूमि सड़क निर्माण में आयेगी उसे हम विभाग द्वारा नियमानुसार मुआवजा देने पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं और विभाग को हर सम्भव सहयोग प्रदान करने को तैयार हैं।

क्र०सं०	गाँव के वरिष्ठ नागरिकों/महिलाओं/पुरुषों एवं नौजवानों के नाम	हस्ताक्षर
1	सत्येश्वर प्रसाद	
2	गुडडी देवी	
3	राजू राम हाथी	
4	दिलकष देवी	
5	मज्जावती देवी	
6	T. R. Gairala	
7	रमेश्वर प्रसाद	
8	मोहन प्रसाद	
9	श्री 202 देवी	
10	मनोज गैरोला	
11	जोनालक्ष प्रसाद	
12	सा. लक्ष्मी	
13	कान्ती प्रसाद गैरोला	
14	कमलेश्वर प्रसाद	
15	रमेश्वर प्रसाद	
16	राधादेवी गैरोला	
17	राजेश्वर प्रसाद गैरोला	
18	सत्यवती गैरोला	

① दानागंज गाँव
 ② लक्ष्मी प्रसाद गैरोला
 दिनांक 9/9/15 गैरोली
 ③ उरवी, 652 गैरोला
 ④ सुप्रिय गैरोला
 श्रीमती शोथरी देवी → 2301

हस्ताक्षर मुहर सहित प्रमाण

- (26) सतीश्वर शुभ
- (27) जगदीश गरोला
- (28) कुबला नन्द गरोला
- (29) जायन्ती शुभ गरोला
- (30) राजेश गरोला
- (31) गरीश्वर गरोला
- (32) सतीश गरोला
- (33) श्री गणेश गरोला
- (34) मोहन शुभ गरोला

एम. ए.
 जगदीश
~~कुबला~~
 शुभ
 राजेश
 गरीश्वर
 सतीश
 श्री गणेश गरोला
 मोहन



The lower portion of the page contains faint, mostly illegible text and markings, possibly bleed-through from the reverse side of the paper. There are some faint lines and shapes that might be part of a form or additional text, but they are not clearly readable.